एन्यूमरेशन फेज पूरा, 43.74 लाख वोटर हो गए कम

झारखंड में एसआईआर

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के एसआईआर में एन्यूमरेशन फॉर्म भरने और उसके डिजिटाइजेशन का फेज बुधवार को खत्म हो गया। एसआईआर के इस चरण में मतदाता सूची से राज्य के 43,74,272 मतदाता कम हो गये हैं। झारखंड में मतदाताओं की संख्या 2,64,63,236 है। इनमें डिजिटाइजेशन के बाद 2,20,88,937 मतदाताओं के नाम पांच अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट में प्रकाशित किये जाएंगे।

05 अगस्त को जारी होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट

राज्य के कम हुए 43,74,272 मतदाताओं में 7,63,997 मृत मतदाता, 14,60,169 पता लगाने योग्य नहीं व अनुपस्थित मतदाता, 15,93,516 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, 4,38,560 अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाता और 1,18,030 एन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाता शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पहले चरण एन्यूमरेशन फेज के अंतिम दिन वर्तमान मतदाता सूची के सभी पात्र मतदाताओं, बीएलए, बीएलओ, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ-एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, वोलेंटियर्स और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर की सहभागिता से शतप्रतिशत कार्य ससमय संपन्न हो गया। पांच अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है। इसी दिन एएसडीडी सूची प्रकाशित की जाएगी। उन दोनों सूचियों को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सॉफ्ट कॉपी और सभी बीएलए टू को हार्ड कॉपी (प्रिंट फॉर्म) में उपलब्ध कराई जायेगी। के. रवि कुमार ने कहा कि पांच अगस्त से दावा आपत्ति की अवधि शुरू हो रही है।

नहीं जमा कर सके एन्यूमरेशन फॉर्म तो क्या करें

- पांच अगस्त को जारी होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट

पांच अगस्त से चार सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे

दावा-आपत्तियों का पांच अगस्त से तीन अक्तूबर तक होगा निराकरण

सात अक्तूबर को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन

- जो मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर सके उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा

फॉर्म-6 भर कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे

- वैसे मतदाता जिनका नाम दूसरी जगह दर्ज है वे ट्रांसफर करा सकेंगे

इन मतदाताओं को फॉर्म-8 व घोषणा पत्र भरना होगा, नई जगह नाम दर्ज हो सकेगा

- 4.50 लाख मतदाताओं के नाम दो जगह दर्ज हैं
- मृत मतदाता में दर्ज नाम वाले जिंदा मिले तो बीएलओ पर होगी कार्रवाई
- स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता के आने पर उन्हें किया जाएगा शिफ्ट
- अनुपस्थित, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और साइन नहीं करने वाले वोटर को मिलेगा मौका

रांची में 6,97,936 मतदाताओं के नाम कटे

रांची। रांची में एसआईआर के तहत 697936 वोटरों के नाम कट गए हैं। जिले में मतदाता सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, 29 जुलाई की शाम छह बजे तक तमाड़, हटिया, कांके और मांडर विधानसभा क्षेत्रों में एन्यूमरेशन फॉर्म का 100% वितरण और संग्रहण पूरा हो गया है। सिल्ली, खिजरी और रांची विधानसभा क्षेत्रों में भी फॉर्म वितरण लगभग शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन का कार्य भी लगभग 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में 2,19,083 मतदाताओं के लिए 100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण पूरा कर लिया गया है।

सियासत 30 s

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में भर्ती घायल छात्रा नूतन टोप्पो से बुधवार को मुलाकात करते मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडेय सिंह।

मंत्री दीपिका और योगेंद्र नूतन से मिले

रांची। मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को अस्पताल पहुंचकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुई आदिवासी छात्रा नूतन टोप्पो से मुलाकात की। सीएम के निर्देश पर वे अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने नूतन के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दोनों ने कहा कि सरकार नूतन के साथ मजबूती से खड़ी है।

आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित हो: माले

रांची। भाकपा माले ने कहा है कि जेपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र-युवाओं का आंदोलन वाजिब है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस आंदोलन को दबाने के बजाय उनसे संवाद स्थापित करे। पार्टी ने बुधवार को इस संबंध में प्रेस बयान जारी किया। स्पष्ट किया कि वह छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ी है।

एकता समाज के स्थापना दिवस में पहुंचे सुदेश

रांची। हैदराबाद में आयोजित झारखंड एकता समाज के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आजसू प्रमुख सुदेश महतो शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परदेश में भी झारखंड की पहचान, भाषा-संस्कृति और सामाजिक समरसता को सशक्त बनाने की यह पहल निरंतर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़नी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री से बुधवार को मुलाकात करता एनआईईएम व तरंग ट्रस्ट का प्रतिनिधिमंडल।

लोगों तक पहुंचेगी आदिवासी चिकित्सा: इरफान

रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की पारंपरिक आदिवासी चिकित्सा पद्धति (एथनो मेडिसिन/होड़ोपैथी) के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास की दिशा में राज्य सरकार गंभीर पहल करने जा रही है। वैज्ञानिक शोध के साथ सरकार इसे जनता तक पहुंचाएगी। स्वास्थ्य मंत्री से बुधवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एथनो मेडिसिन (एनआईईएम) एवं आदिवासी तरंग ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। विस्तृत प्रस्तुति दी तथा प्रचार-प्रसार का प्रस्ताव सौंपा।

सोशल मीडिया से

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत की एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि। 69 किलोग्राम महिला भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर हरजिंदर कौर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी अद्भुत शक्ति, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपकी यह उपलब्धि देश के लाखों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

31 ठिकानों पर छापेमारी, 1.02 करोड़ कैश जब्त, एलबी सिंह के 160 करोड़ के एमएफ फ्रीज

कोल कारोबारियों के 200 भूखंडों की खरीद और बिक्री जांच रही ईडी

ईडी की कार्रवाई

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े केस में धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह के 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड (एमएफ) को फ्रीज किया है। मंगलवार की देर रात तक ईडी के रांची जोन द्वारा अवैध कोयला खनन, तस्करी के मामले में अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान व अन्य से जुड़े सहयोगियों-करीबियों और कंपनियों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी समाप्त होने के बाद एजेंसी द्वारा जारी प्रेस बयान में बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान एलबी सिंह द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए करीब 160 करोड़ रुपये के निवेश को फ्रीज कर दिया गया है। ईडी ने मौके से 1.02 करोड़ रुपये की बेनामी नकदी जब्त की है।

सरकारी अधिकारी से कोयला तस्करी के चैट, बंगाल का भी लिंक: कोयला तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच में पुलिस व सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका भी शुरुआती जांच में सामने आयी है। मोबाइल चैट की जांच में सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका, पैसे के लेनदेन की जानकारी मिली है। वहीं, बंगाल के कोल सिंडिकेट की भी भूमिका उभर कर सामने आयी है। कोयला तस्करी के इंटरस्टेट लिंक की पड़ताल भी ईडी कर रही है।

पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी जांच: ईडी ने यह जांच झारखंड पुलिस द्वारा अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान और अन्य के खिलाफ धनबाद व आसपास के इलाकों में अवैध खनन, कोयला चोरी, तस्करी और कोयला उठाने पर अवैध लेवी व रंगदारी वसूलने के संबंध में दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। पुलिस कई मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। पीएमएलए जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने अवैध गतिविधियों के जरिए करोड़ों रुपये की काली कमाई अर्जित की। इस रकम को सफेद दिखाने के लिए कई फर्जी कंपनियों और व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में इस राशि से चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं। इससे पहले नवंबर 2025 में भी ईडी ने अनिल गोयल और एलबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है।

धनबाद में ईडी की छापेमारी के दौरान कोयला कारोबारी एलबी सिंह के रिश्तेदार के यहां तैनात पुलिस।

छापे में क्या-क्या मिले

- डिजिटल उपकरण और बही-खाते जब्त किए गए
- अचल संपत्तियों से जुड़े कागजात और डेटा
- संपत्तियों की डीड, जमीन के भुगतान के दस्तावेज

प्रोसीड ऑफ क्राइम 500 करोड़ से अधिक के होने का अनुमान

जांच टीमों को 200 से अधिक अचल संपत्तियों से जुड़े कागजात व डेटा मिले हैं, जिन्हें अपराध की कमाई से खरीदने की आशंका है। इसके अलावा बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण और बही-खाते भी जब्त किए गए हैं। ईडी द्वारा सारी अचल संपत्तियों की डीड, जमीन की रजिस्ट्री के लिए भुगतान की जांच की जाएगी। एजेंसी को अनुमान है कि जमीन संबंधी निवेश को जोड़ दिया जाए तो प्रोसीड ऑफ क्राइम 500 करोड़ से अधिक का हो सकता है। एजेंसी ने बताया है कि इस छापेमारी में गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव और माधो सिंह व उनकी कंपनियों के निदेशकों के ठिकाने शामिल हैं।

होम्योपैथिक कॉलेज में 6 प्रोफेसर नियुक्त

रांची। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, परसापानी (गोड्डा) में छह प्रोफेसर नियुक्ति किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि इससे पहले भी यहां चार फैकल्टी की नियुक्ति की जा चुकी है। यह निर्णय राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने, पठन-पाठन की व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने इस कॉलेज में सत्र 2026-27 में दाखिले की अनुमति नहीं दी है। आयोग ने 22 जुलाई को कॉलेज के प्राचार्य को पत्र भेजकर इसकी सूचना दे दी है। हालांकि आयोग की ओर से कॉलेज में व्याप्त कमी एवं त्रुटियों को दूर कर 30 दिनों के अंदर अपील करने की बात भी कही गयी है।

जेल विस्तार को 32 एकड़ जमीन चिह्नित

रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के ओपन जेल में सुविधाओं के विस्तार और उनकी मॉनिटरिंग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि ओपन जेल के विस्तार के लिए हजारीबाग में 32 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर ली गई है। इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अधिवक्ता मयंक विभोर ने पक्ष रखा। अदालत को बताया गया कि महिला बंदियों के लिए अलग से ओपन जेल की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। सुनवाई के दौरान जानकारी भी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी में वंदना दादेल को नामित किया गया है।

बांधों की सुरक्षा जांच के लिए बनेगा स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के बाद जल संसाधन विभाग ने राज्य के बांधों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा कराने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत विभाग द्वारा विशेषज्ञों के दो स्वतंत्र पैनल गठित किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में अध्यक्ष सहित कुल आठ डोमेन विशेषज्ञ शामिल होंगे।

इन पैनलों में बांध सुरक्षा विशेषज्ञ, डिजाइन विशेषज्ञ, निर्माण पर्यवेक्षण विशेषज्ञ, भूवैज्ञानिक, जल विज्ञानी यानी हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो-मैकेनिकल विशेषज्ञ, इंस्ट्रूमेंटेशन विशेषज्ञ और सिस्मिक यानी भूकंपीय विशेषज्ञ की श्रेणियां शामिल होंगी। अध्यक्ष का चयन इन्हीं सूचीबद्ध सदस्यों में से किया जाएगा। विभाग के अंतर्गत डिजाइन, मास्टर प्लानिंग एवं हाइड्रोलॉजी के मुख्य अभियंता कार्यालय ने इच्छुक और योग्य डोमेन विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) ने 23 मई 2025 को बांध और उसके जलाशय की स्थिति जांचने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल गठित करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में राज्य सरकार अब यह कदम उठा रही है।

संभावित खतरों की समय रहते पहचान करना उद्देश्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित बांधों की तकनीकी, संरचनात्मक और परिचालन सुरक्षा का स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक आधार पर आकलन कराना है। ताकि संभावित खतरों की समय रहते पहचान हो सके। बांधों का सुरक्षित व दीर्घकालिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

शराब घोटाले में गजेंद्र समेत तीन अधिकारियों को समन

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। एसीबी ने राज्य की उत्पाद नीति, शराब आपूर्ति और जेएसबीसीएल से संबंधित प्रक्रियाओं तथा उनसे जुड़ी कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं में जेल जा चुके आरोपियों को नए सिरे से समन किया है। एसीबी ने चार अगस्त को तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश और जेएसबीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास को समन किया है। एसीबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन अधिकारियों से पूर्व में दर्ज बयानों एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर आवश्यक स्पष्टीकरण लिया जाएगा। ब्यूरो के अनुसार जांच के दौरान पूर्व में दर्ज बयानों, उपलब्ध साक्ष्यों का आपस में मिलान किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को पुनः बुलाकर स्पष्टीकरण लिया जा रहा है।

एसीबी ने बताया है कि टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच हो रही है। इसमें टेंडर की शर्तें, उनमें किए गए बदलाव, संबंधित अधिकारियों-संस्थाओं की भूमिका और टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों की प्रक्रिया शामिल है। बैंक गारंटी, भुगतान, राजस्व वसूली और अन्य वित्तीय दायित्वों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। एसीबी यह भी जांच कर रहा है कि प्रक्रिया में किसी कमी के कारण सरकारी राजस्व को नुकसान तो नहीं हुआ।

एसीबी के अनुसार शराब की आपूर्ति, दुकानों का हिसाब-किताब, बैंक में राशि जमा कराने, ऑडिट और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है।

झारखंड के सभी जिलों में खुलेगा मिलेट कैफेटेरिया

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में मोटे अनाज (मिलेट) को बढ़ावा देने तथा इससे जुड़े उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग सभी जिलों में मिलेट कैफेटेरिया खोलेगा। पहले चरण में रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम कैफेटेरिया खोला जाएगा। उसके बाद अन्य जिलों में इसे खोला जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि मिलेट कैफे किसानों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ लोगों को पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों से भी जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे।

रांची, जमशेदपुर, देवघर में रेस्टोरेंट भी: कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम कैफेटेरिया के साथ रेस्टोरेंट भी होगा। यहां मिलेट के इडली, डोसा, लड्डू, हलवा, निमकी, ठकुआ आदि पकवान परोसे जाएंगे। साथ ही ओवर द काउंटर सेल की भी सुविधा होगी। लोग वहां से मिलेट के कच्चे उत्पाद खरीद भी सकेंगे। दूसरे चरण में सभी जिलों में मिलेट कैफेटेरिया खोले जाएंगे।

किसानों को बीज उपलब्ध कराएं: शिल्पी

रांची। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में इस वर्ष मक्का की खेती उत्साहजनक रही है। अब तक 65 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में मक्का की बुआई हो चुकी है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जिलों में किसानों के बीच मक्का बीज की अधिक मांग है, वहां आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त मक्का बीज का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। कृषि मंत्री बुधवार को नेपाल हाउस सचिवालय में कृषि विभाग की विस्तृत समीक्षा कर रही थीं। बैठक में विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक पी, विशेष सचिव गोपालजी तिवारी, कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज सहित विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक | Punjab National Bank ...the name you can BANK upon !

ARMB, राँची (पता: एस. एन. गांगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला – राँची, झारखंड – 834001 | फोन : 7300705205, ई-मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्त्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	A) आरक्षित मुल्य (रू0 लाख में) B) इएमडी C) बोली वृद्धि राशि D) Baanknet प्रॉपर्टी आईडी	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	शाखा कार्यालय : **आदित्यपुर** (289400) **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स (प्रोप्राइटर श्रीमती झरना प्रधान)** **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स श्रीमती झरना प्रधान (स्वर्गीय जतिन्द्र प्रधान की विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरवर्ती)** **नीरज कुमार,** पिता श्री श्याम नंदन शर्मा **आंजना प्रधान,** पति श्री राज किशोर **दिलीप प्रधान,** पिता श्री राज किशोर **अजीत प्रधान,** पिता श्री राज किशोर	भूमि के सभी भाग जो, प्लॉट संख्या 423, खाता संख्या 122, थाना – राजनगर, मौजा – गम्हरिया, थाना संख्या 156, हल्का संख्या 08, सरायकेला-खरसावां स्थित है, जो जतिन्द्र प्रधान, अजीत प्रधान एवं दिलीप प्रधान, सभी पिता – राज किशोर प्रधान के नाम पर निबंधित है, क्षेत्रफल – 2 एकड़ 10 डिसमिल, विक्रय विलेख संख्या 5465/5483 दिनांक 13/10/2010 के माध्यम से, जिसकी **चौहद्दी निम्न प्रकार है :** उत्तर : मकरध्वज, दक्षिण : फकीर, पूर्व : विक्रेता निज, पश्चिम : डुंगरी। भूमि के सभी भाग जो, प्लॉट संख्या 437, खाता संख्या 123, थाना – राजनगर, मौजा – गम्हरिया, थाना संख्या 156, हल्का संख्या 08, सरायकेला-खरसावां स्थित है, जो जतिन्द्र प्रधान, पिता – राज किशोर प्रधान के नाम पर निबंधित है, क्षेत्रफल – 40 डिसमिल, विक्रय विलेख संख्या 1184/1189 दिनांक 11.04.2012 के माध्यम से, जिसकी **चौहद्दी निम्न प्रकार है :** उत्तर : मकरध्वज कुम्हार, दक्षिण : फकीर कुम्हार, पूर्व : क्रेता निज, पश्चिम : डुंगरी। आवासीय भूमि के सभी भाग जो, प्लॉट संख्या 464, खाता संख्या 122, हल्का संख्या 08, राजनगर, मौजा – गम्हरिया, थाना संख्या 156, सरायकेला-खरसावां स्थित है,जो दिलीप प्रधान, पिता – राज किशोर प्रधान के नाम पर निबंधित है, क्षेत्रफल – 84 डिसमिल, विक्रय विलेख संख्या 1857/1829 दिनांक 20/06/2014 के माध्यम से, जिसकी **चौहद्दी निम्न प्रकार है :** उत्तर : अश्वनी प्रधान, दक्षिण : मधुसूदन, पूर्व : विक्रेता निज, पश्चिम : गाँव की सड़क।	A) 26.06.2025 B) Rs. 3,89,42,345.21 + further interest C) 22.10.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 3,29,77,800.00 B) Rs. 32,97,780.00 C) Rs 5,00,000.00 D) PUNB49U9671062	04.08.2026 11:00 AM to 04:00 PM
		आवासीय फ्लैट संख्या 112, प्रथम तल, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1160 वर्गफुट है, जिसमें एक कार पार्किंग स्थान संख्या C/6 सहित, "हिल व्यू गार्डेन" नामक भवन में स्थित, तथा प्लॉट संख्या 1733, 1735, 1736 एवं 1737 के हिस्से में स्थित भूमि के आनुपातिक अविभाजित हिस्से, क्षेत्रफल 392.65 वर्गफुट, जो खाता संख्या 444, 470 एवं 538 में दर्ज है, मौजा – मानगो (डिमना), थाना – एम.जी.एम., वार्ड संख्या 9, एम.एन.ए.सी., नगर – जमशेदपुर में स्थित है, श्री नीरज कुमार, पिता – श्याम नंदन शर्मा के नाम पर निबंधित है। उक्त संपत्ति का क्षेत्रफल 1160 वर्गफुट है, जो विक्रय विलेख संख्या 2467/1871 दिनांक 22/04/2013 के माध्यम से दर्ज है।	A) 26.06.2025 B) Rs. 3,89,42,345.21 + further interest C) 22.10.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 31,02,030.00 B) Rs. 3,10,203.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBQ4A66248594	04.08.2026 11:00 AM to 04:00 PM
		आवासीय भूमि के सभी भाग जो, मौजा – मुदियापाड़ा, थाना – राजनगर, थाना संख्या 154, खाता संख्या 54 अंतर्गत स्थित है, जिसमें प्लॉट संख्या 647, गोड़ा-I, क्षेत्रफल 13 डिसमिल तथा प्लॉट संख्या 654, गोड़ा-I, क्षेत्रफल 3 डिसमिल, कुल क्षेत्रफल 16 डिसमिल, कुल दो प्लॉट, जिला – सरायकेला-खरसावां स्थित है, जो श्रीमती आंजना प्रधान, पति श्री राज किशोर प्रधान के नाम पर विक्रय विलेख संख्या 3381/3316 दिनांक 23/11/1987 के माध्यम से निबंधित है।	A) 26.06.2025 B) Rs. 3,89,42,345.21 + further interest C) 22.10.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 91,22,400.00 B) Rs. 9,12,240.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBQ4A66248734	04.08.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **04.08.2026 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 03.08.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

अधिक जानकारी के लिए

SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

तिथि : 27.07.2026
स्थान : सरायकेला

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता

कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान
सी.जी. सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ
वेबसाईट : https://cancerinstitute.edu.in ईमेल : office.sscih@gmail.com

Renovation of Board Room at KSSSCI

यह सूचित किया जाता है कि GeM पोर्टल पर Facility Management Services-Outcome Based श्रेणी के अंतर्गत KSSSCI के Board Room के नवीनीकरण कार्य हेतु **निविदा संख्या GEM/2026/B/7842783 दिनांक 29.07.2026** अपलोड कर दी गई है।

नोटः

1. **इस निविदा के लिए बीमा जमानत** (Insurance Surety), **अकाउंट पेयी** (Account Payee), **सावधि जमा रसीद** (FDR), **बैंकर्स चेक** (Banker's Cheque) **अथवा बैंक गारंटी** (Bank Guarantee) **के माध्यम से जमा की गई बयाना राशि** (EMD) **भौतिक रूप में स्वीकार की जाएगी तथा इस निविदा हेतु वैध मानी जाएगी। तथापि, उक्त** EMD **से संबंधित** UTR **संख्या एवं उसकी स्कैन की गई प्रति** GeM **पोर्टल पर इस निविदा के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी होगी।**
2. **जूम प्लेटफार्म के माध्यम से दिनांक 01.08.2026 को प्रातः 11 बजे प्री बिड मीटिंग आयोजित की जायेगी, सभी इच्छुक निवेदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग में प्रतिभाग करने हेतु लिंक प्राप्त करने के लिए ईमेल आई0डी0 office.sschi@gmail.com पर अपने ईमेल एड्रेस अग्रसारित करने का कष्ट करें।**

निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट www.cancerinstitute.edu.in पर उपलब्ध है।

Advt No:- KSSSCI/Tender-11/2026-27 निदेशक

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड
लेन नं० 3 भवन नं० 23, शास्त्रीनगर हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001
Website : www.ukmssb.org, Email: ukmssbdun@gmail.com, Ph. 0135-2665366

विज्ञप्ति संख्या :- 35/2026 दिनांकः 29 जुलाई, 2026

अंतिम परीक्षा परिणाम

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0/23/2024–25/521, दिनांकः 14 जुलाई 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0/परी0/23/2024–25/396, दिनांक 15 मई 2026 द्वारा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण अनुक्रमांकवार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था। असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा अनुक्रमांकवार परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/23/2024–25/429, दिनांक 01 जून 2026 के माध्यम से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी–उपश्रेणीवार रिक्त एक पद के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को 17 जून 2026 (बुधवार) को चयन बोर्ड कार्यालय में साक्षात्कार/अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। असिस्टेन्ट प्रोफेसर परीक्षा–2025 हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की गई है। अंतिम श्रेष्ठता सूची में उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षणों को लागू करते हुए असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त 16 पदों के सापेक्ष अन्तिम परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया है।

नोट– मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 332/2025 (एस0बी0) मयंक कुमार जैमनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 13 अगस्त 2025 तथा रिट याचिका संख्या 349/2025 (एस0बी0) विजय मोहन्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य को दिनांक 22 अगस्त 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के विज्ञापित रिक्त 16 पदों में से दो पदों (अनारक्षित श्रेणी) को उक्त रिट याचिकाओं में अंतिम निर्णय पारित होने तक रिक्त रखा जाता है।

सचिव

दक्षिण पूर्व रेलवे – निविदा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए, मंडल रेल प्रबंधक (इंजी.), चक्रधरपुर द्वारा खुली निविदा के प्रतिपक्ष ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है एवं ऐसा कोई मैनुअल प्रस्ताव प्राप्त होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। **निविदा सूचना सं.: सीकेपी-सेंट्रल-26-27-28, कार्य का नामः** चक्रधरपुर-राउरकेला-टीएसआर(पी)-35.665 टीकेएम और बन्डामुन्डा जंक्शन-बरसुआँ-टीएसआर (पी)-11.100 टीकेएम, टीआरटी द्वारा। **निविदा मूल्यः** रु. 8,90,99,933.21, **बयाना राशि** : रु.17,82,000/-, **निविदा प्रपत्र का मूल्यः** रु. 0.00, **खुलने की तिथिः** 24.08.2026, निविदा वेबसाइट **http:// www. ireps.gov.in** में देखी जा सकती है। निविदाकार/ बोलीदाता के पास क्लास-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रहना चाहिए एवं आईआरईपीएस पोर्टल के अधीन पंजीकृत हों। केवल पंजीकृत निविदाकार/बोलीदाता ई-निविदा प्रणाली में भाग ले सकते हैं। ई-निविदा प्रणाली में भाग लेते समय सभी संबंधित कागजात अवश्य अपलोड किए जाएं। **(PR-546)**

COURT NOTICE

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION XII, at JAMSHEDPUR
ORIGINAL SUIT No. 360 of 2024
Smt. Saraswati Ambastha ....**Plaintiff**
Vs.
Smt. Poonam Sharma & Ors. ..**Defendants**

To: **1.** Smt. Poonam Sharma, D/o Late Sarju Prasad, C/o Basudev Nayak, Flat No. A1, Usha Apartment, 51, New Sitaramdera, P.O. Agrico, Jamshedpur - 831009. **2.** Smt. Uma Sinha, D/O Late Sarju Prasad, R/o D/2, Gitanjali Garden, Near Golmuri Club, Nildih, P.O. Golmuri. Jamshedpur 831003. **3.** Smt. Sheela Srivastava, D/O Late Sarju Prasad, Chota Govindpur, Near Railway Crossing, Kali Mandir, Sal Mandir Road, P.O. Gadra, via Telco, P.S. Parsudih, Jamshedpur-831004. **4.** (I) Smt. Rupa Prasad, W/O Late Kamia Prasad, (II) Sri Rajiv Prasad, S/O Late Kamla Prasad, Both R/O Sardamani Schoo, Sakchi, Aambagan P.O. Sakchi, Jamshedpur-831001.

Take notice that whereas the Plaintiff has instituted the above mentioned Original(Partition | Suit No. 360 of 2024.

Whereas you have failed to appear in the said case inspite of Issuance of summons by this Hon'ble Court.

You are hereby noticed to appear in the said case in this Court on this **the 5th day of Aug. 2026, at about 10:30 AM.** to answer the claim and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defence. Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned, the case will be heard and determined ex-parte in your absence. Given under my hand and seal of this Court on this the 22nd day of July 2026, at Jamshedpur.

Sd./- Civil Judge, Senior Division XII, Jamshedpur Civil Court, East Singhbhum, at Jamshedpur.